पत्रांक : 1970 / आयु0क0उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 14 जून–2015
जुलाई

प्रार्थना पत्र संख्या – 13 / 28.12.2014

द्वारा – श्री सुधीर कुमार जैन, खण्डेलवाल रस्सी भण्डार, गुलजारी मल धर्मशाला रोड, मुरादाबाद–244001 (उत्तर प्रदेश)

उपस्थिति – श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक – जून, 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

श्री सुधीर कुमार जैन, खण्डेलवाल रस्सी भण्डार, गुलजारी मल धर्मशाला रोड, मुरादाबाद–244001 (उत्तर प्रदेश) द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्लास्टिक निवाड़, सूत निवाड़, नारियल बान, प्लास्टिक बान, सन बान, कांस बान पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड–क के अन्तर्गत अनुसूची–I के क्रमांक–40 पर निवाड़, बान एवं बान रस्सी (Newar, baan and baan rassi) का उल्लेख किया गया है। कांस बान का निर्माण कांस घास एवं सन बान का निर्माण सन की लकड़ी को गलाने के पश्चात प्राप्त रेशों की हाथ से बटाई करने के उपरान्त किया जाता है, जो अनुसूची–I की प्रविष्टि संख्या–40 से आच्छादित होती है। इसके अतिरिक्त नारियल बान, प्लास्टिक बान, प्लास्टिक निवाड़ एवं सूत निवाड़ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं हैं। अतः इन पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।

प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि बान व निवाड़ दोनों ही वस्तुएं विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से निर्मित की जाती हैं तथा सामान्य तौर पर उक्त दोनों ही श्रेणी की वस्तुओं का प्रयोग चारपाई / पलंग, पीढ़ा और कुर्सी आदि बुनने में किया जाता है, जिन्हें अनुसूची–I के क्रमांक–40 पर निवाड़, बान एवं बान रस्सी के नाम से विज्ञापित किया गया है। अतः उनके द्वारा प्लास्टिक निवाड़, सूत निवाड़, नारियल बान, प्लास्टिक बान, सन बान, कांस बान को अनुसूची–I के क्रमांक–40 से आच्छादित मानते हुए करमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को संलग्न किया गया है।